



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020-21



सामाजिक अंकेक्षण केवल एक प्रक्रिया ही नहीं
बल्कि जवाबदेह शासन की प्रतिबद्धता है।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी,
राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.0141-2227033/2227725)





सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



Society for Social Audit
Accountability & Transparency
(SSAAT), Rajasthan

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता
सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.0141-2227033/2227725)

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन	1
3.	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के उद्देश्य	1
4.	सोसायटी (SSAAT) की संरचना (Set Up)	2
5.	सोसायटी (SSAAT) में वर्ष 2020-21 में सम्पन्न कार्य	5
6.	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा अंकित योजनाएं	8
7.	सोसायटी में शक्तियों का प्रत्यायोजन	10
8.	लेखे एवं अंकित	10
9.	परिशिष्ट-1 मंत्रिमण्डल की आक्षा दिनांक 27 जून 2019	13
10.	परिशिष्ट-2 सोसायटी का पंजीयन प्रमाण-पत्र	13
11.	परिशिष्ट-3 सोसायटी में स्वीकृत मानव संसाधन	14

1. प्रस्तावना :

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य अंगों में पारदर्शिता, भागीदारी, विचार-विमर्श, जवाबदेही, परिवेदना/शिकायतों का त्वरित निवारण आते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य कई सरकारी योजनाओं के संबंध में भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाने बाबत विधिक प्रावधान हैं अथवा प्रशासनिक निर्देश हैं। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप महात्मा गाँधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना तथा चौदहवें तथा पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

2. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन :-

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M-13015/2012/MGNREGA-Vii/pt. दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्री मण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11(8)/ग्रा.वि./नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके./2015 दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी. 49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 (परिशिष्ट-1)की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का पंजीकरण राजस्थान सोसायटीज अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20.08.2019 (परिशिष्ट-2) है। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की विधिवत अधिसूचना, राजस्थान राज-पत्र साधारण में दिनांक 19.09.2019 को प्रकाशित की गई है।

3. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के उद्देश्य (Objectives) :-

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के उद्देश्य राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत और गहन रूप से प्रभावी बनाने की दिशा में काम करना है ताकि सामाजिक अंकेक्षण राज्य में शासन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाये। सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की स्वायत्तता और शुद्धता सभी हित धारकों (Stake Holders) द्वारा बनायी रखी जाए।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- राजस्थान में निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना ।
- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया सरकारी प्रशासन और कार्यान्वयन एजेंसी की मुख्यधारा से स्वायत्ता बनाये रहे ।
- महात्मा गांधी नरेगा और अन्य सरकारी कार्यक्रमों और राजस्थान में ग्रामीण लोगों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को जिम्मेदार होना ।
- सरकारी योजनाओं के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए जमीनी स्तर (सिविल सोसायटी और नागरिक दोनों) पर क्षमता का निर्माण करना ।
- सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए संसाधन आधार तैयार करने के साथ-साथ अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रक्रियाओं का विकास करना ।

4. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की संरचना (Set up) :-

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक K-11033/50/2010-MGNREGAS Pt. 2 दिनांक 11.03.2015 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के समस्त क्रियाकलापों का क्रियान्वयन एक शासी निकाय (Governing Body) के दिशा निर्देशन में होगा जिसका विवरण सोसायटी के नियम एवं विनियमों के बिन्दु संख्या 14,15 में वर्णित है ।

(क) शासी निकाय (G.B.) :-

शासी निकाय (G.B.) के पदाधिकारी/सदस्यगण का विवरण निम्नानुसार है:-

S No.	Name of Post	Designation
1	श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2	श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा.वि.	उपाध्यक्ष
3	शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	सदस्य
4	प्रधान महालेखाकार, राजस्थान	सदस्य
5	शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान	सदस्य
6	आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान	सदस्य
7	शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान	सदस्य सचिव
8	आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना	सदस्य
9	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
10	निदेशक, SSAAT	सदस्य
11	सिविल सोसायटी प्रतिनिधि	सदस्य
12	सिविल सोसायटी प्रतिनिधि	सदस्य
13	सिविल सोसायटी प्रतिनिधि	सदस्य

(ख.) कार्यकारी समिति (Executive Committee) :-

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) शासी निकाय के निर्देशों की पालना कराने एवं नियमित कार्य संचालन हेतु निर्णय करने के लिये एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठन अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता किया गया है।

कार्यकारी समिति (Executive Committee) के पदाधिकारी / सदस्यगण का विवरण निम्नानुसार है:-

S No.	Name of Post	Designation
1.	अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास राजस्थान	उपाध्यक्ष
3.	शासन सचिव, वित्त (बजट)	सदस्य
4.	शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग	सदस्य
5.	आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
6.	आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा, राजस्थान	सदस्य
7.	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
8.	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य सचिव
9.	उप निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य
10.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
11.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
12.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
13.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
14.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
15.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
16.	सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	सदस्य
17.	सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	सदस्य
18.	सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	सदस्य

कार्यकारी समिति (Executive Committee) की तीन बैठकों का आयोजन श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सह अध्यक्ष सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की अध्यक्षता में निम्नानुसार किया जा चुका है।

बैठक	दिनांक
प्रथम	24.02.2020
द्वितीय	29.07.2020
तृतीय	25.11.2020

(ग.) सोसायटी में स्वीकृत मानव संसाधन :-

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ/संसाधन व्यक्तियों की स्वीकृत तथा वास्तव में कार्यरत मानवश्रम की स्थिति दिनांक 31.03.2021 को निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तव में कार्यरत	कर्तव्यों बाबत प्रावधान
1.	निदेशक	1	1	सोसायटी के नियम बिन्दु सं.8
2.	उप निदेशक	1	—	सोसायटी के नियम बिन्दु सं.9
3.	अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण (राज्य सरकार वित्त विभाग की स्वीकृति अनुसार)	29	24	सोसायटी के नियम बिन्दु सं.11
4.	सामाजिक विकास विशेषज्ञ	1	—	सोसायटी के नियम बिन्दु सं.11
5.	राज्य संसाधन व्यक्ति	6	—	सोसायटी के नियम बिन्दु सं.12
6.	जिला संसाधन व्यक्ति	99	33 *	सोसायटी के नियम बिन्दु सं.13
7.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	1886,	1886	सोसायटी के निर्देशानुसार
8.	ग्राम संसाधन व्यक्ति	35200	34251	सोसायटी के निर्देशानुसार

उक्त पद वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 13210037 दिनांक 04.03.2021 द्वारा फरवरी, 2022 तक अनुमोदित है।' वर्तमान में जिला संसाधन व्यक्ति का कार्य जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत जिला समन्वयक, एम. आई. एस मैनेजर इत्यादि द्वारा किया जा रहा है।

सामाजिक विकास विशेषज्ञ 1, राज्य संसाधन व्यक्ति 6 तथा जिला संसाधन व्यक्ति 99 की सेवायें संविदा के आधार पर सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम, 2020 (यथा संशोधित) के अनुसार लिये जाने हेतु चयन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) में वर्ष 2020-21 में सम्पन्न कार्य:-

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के नियम व विनियमों के राजपत्र दिनांक 19.09.2019 में प्रकाशित होने के उपरान्त नवीन सोसायटी (SSAAT) के द्वारा विधिवत कार्यारम्भ किया गया। इस क्रम में वर्ष 2020-21 में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

I. सामाजिक अंकेक्षण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17 एवं सामाजिक लेखा परीक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रावधान है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण ग्राम सभाओं का आयोजन पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक F.15 (17)PRD/Legal/SP/ग्रामसभा/2010/3585 दिनांक 15.03.2020 द्वारा स्थगित किया हुआ है। जिसके कारण वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 के कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण कार्य नहीं हो पाया है।

II. समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने के फलस्वरूप सामाजिक अंकेक्षण कार्य नहीं हुए। भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11015/03/2020/RE-III 371554 दिनांक 15.07.2020 द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अनुमोदन अनुसार आदेश क्रमांक: Q61(110) SSAAT/Conc. SA Calendar/20-21/2018 दिनांक 09.12.2020 (आदेश संख्या 11/2020) द्वारा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ किया गया। माह दिसम्बर 2020 से माह मार्च 21 तक निम्नांकित विवरणानुसार नियमित सामाजिक अंकेक्षण के स्थान पर समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) (CSA) का कार्य समस्त जिलों की लगभग समस्त ग्राम पंचायतों में करवाया गया है :-

माह	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनका CSA कलैण्डर जारी	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनका CSA सम्पादित
दिसम्बर, 2020	3035	1969
जनवरी, 2021	11316	11110
फरवरी, 2021	5644	5468
मार्च, 2021	5656	5644

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम से कम दो बार लगभग समस्त ग्राम पंचायतों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण करवाया गया है।

नियमित सामाजिक अंकेक्षण की तर्ज पर ही समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दल में कुल सदस्य 6 (1 ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति) द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अंकेक्षण किया जाता है। सोसायटी में राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों की विधिवत चयन प्रक्रिया विचाराधीन चलने पर सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार पूर्व वर्षों के चयनित/प्रशिक्षित ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के द्वारा ही समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) कार्य संपादित करवाया गया है। किसी पंचायत समिति में चयनित/प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों का अभाव होने की स्थिति में सामाजिक संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों से योग्य व्यक्तियों द्वारा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) करवाने हेतु जिलों को अधिकृत किया हुआ था।

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोविड-19 संबंधी गाईडलाइन को ध्यान में रखते हुए फेसमास्क, सेनेटाइजर, सामाजिक दूरी बनाये रखने आदि निर्देशों की पालना सामाजिक अंकेक्षण कार्य के दौरान कराई गई है। कोविड-19 की गम्भीर परिस्थितियों में आमजन में जनजागृति लाने एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण संसाधन व्यक्तियों को समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन हेतु भी निर्देशित किया गया था :-

- (i.) जॉब कार्ड के इच्छुक परिवारों का आवेदन भरने में एवं काम की मांग का आवेदन फॉर्म भरने में मजदूरों की सहायता करेंगे।
- (ii.) प्रवासी मजदूरों से संपर्क कर उनको जॉब कार्ड मुहैया कराने/काम उपलब्ध कराने और समय पर भुगतान करवाने में सहयोग करेंगे।
- (iii.) इस प्रक्रिया में सभी टीम सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन करेंगे और समुदाय को भी इस विषय पर जागरूक करेंगे।

इस प्रकार वैश्विक महामारी कोविड-19 की गम्भीर परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ आमजन की सुरक्षा और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के पवित्र कार्य में भी सामाजिक अंकेक्षण टीम की राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नियमित सामाजिक अंकेक्षण की MIS Reporting हेतु भारत सरकार का नरेगा सॉफ्ट नामक सॉटवेयर है, परन्तु समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण हेतु ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अतः सोसायटी (SSAAT) द्वारा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स (CSA Reports) का सारांश मंगवाने हेतु Google Brodsheet की व्यवस्था स्थापित की गई है। इसी सूचना के आधार पर प्राप्त गम्भीर आक्षेपों पर जिलों से कार्यवाही कराने हेतु लगातार पत्राचार कर वित्तीय अनुशासन बनाये रखने का प्रयास किया गया है।

माह जनवरी, 2021 से लगातार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण दलों को मानदेय का भुगतान संबंधित विकास अधिकारी कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है, जिसके के लिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ61(1)SSAAT/Bank Account/2020.21/2391 दिनांक 26.03.2021 एवं पत्रांक 2462 दिनांक 31.03.2021 (आदेश संख्या 31/2021) एवं विभिन्न आदेशों द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं। तदनुसार राज पेमेन्ट प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ई-पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से भुगतान कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

6. सोसायटी द्वारा अंकेक्षित योजनाएं :

I. योजनाएं जिनका सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का निर्णय किया गया है :-

श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष शासी निकाय की अध्यक्षता में आयोजित सामाजिक लेखा परीक्षा, जबाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय (Governing Body) की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 में लिये गये निर्णय संख्या 1.8 एवं सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं भारत सरकार के अ.शा. पत्रांक M-11015/37/2019-RE-III दिनांक 29.11.2019 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जबाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के आदेश क्रमांक 7099 दिनांक 15.01.2020 के आदेशानुसार राज्य में निम्नलिखित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का निर्णय किया गया है :-

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (MGNREGA)
2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
3. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G)
4. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
5. 14वां/15वां केन्द्रीय वित्त आयोग (14th/15th CFC)
6. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन (SPM Rurban Mission)

II. आगामी कार्य योजना

उपरोक्तानुसार 6 योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण का निर्णय किया गया है परन्तु वर्तमान में पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ15(17)परावि/विधि/विशेष ग्राम सभा/2020/3585 दिनांक 15.03.2020 द्वारा ग्राम सभाओं का आयोजन स्थगित किये जाने के कारण नियमित सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि नियमित सामाजिक अंकेक्षण कार्य में मनरेगा योजना के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियों एवं दिये गये व्यक्तिगत लाभों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किये जाने के दौरान जो कमियां, अनियमितताएं अथवा आपत्तिजनक बिन्दु प्रकट होते हैं, उनका विवरण ग्राम पंचायत की आम सभा में "सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा" के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। जब ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना अनुमत नहीं है तो नियमित सामाजिक अंकेक्षण कार्य संभव नहीं होने से सोसायटी द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत के लिये इस अवधि में सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी नहीं किया गया है।

भारत सरकार द्वारा कोविड परिस्थितियों के चलते आदेश क्रमांक M-11015/03/2020-RE-III (371554) दिनांक 15.07.2020 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2020 की धारा की अनुसूची 1 के पैरा 25 बी के प्रावधानों के अंतर्गत समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इन निर्देशों के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनुमोदन अनुसार माह दिसम्बर, 2020 से केवल मनरेगा (MGNREGA) योजना का ही समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य योजनाओं के बाबत भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से सामाजिक अंकेक्षण/समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने बाबत कोई निर्देश नहीं होने के कारण शेष योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कार्य इस अवधि में सम्पन्न नहीं हो सका।

III. सोसायटी के अंकेक्षणाधीन योजनाओं में आवंटित बजट

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के अंकेक्षणाधीन योजनाओं के क्रियान्वयन विभागों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इन योजनाओं में स्वीकृत बजट प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	योजना का नाम	क्रियान्वयन विभाग	आवंटित बजट राशि (लाखों में)	
			2019-20	2020-21
1.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (MGNREGA)	आयुक्त नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग	189978.55	215000.00
2.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	39836.04	46704.83
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)	ग्रामीण विकास विभाग	262099.00	229666.00
4.	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G)	निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण पंचायती राज विभाग	106818.03	120000.00
5.	14वां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (14 th CFC)	पंचायती राज विभाग	369996.00	—
6.	15वां केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (15 th CFC)	पंचायती राज विभाग	—	386200.00
7.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन (SPMRM)	ग्रामीण विकास विभाग	5080.00	9000.00

7. सोसायटी में शक्तियों का प्रत्यायोजन :-

सोसायटी की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 के निर्णय सं.3.5 की अनुपालना में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन का अनुमोदन शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 के निर्णय संख्या 2.5 द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार राजस्थान सेवा नियम (RSR), सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम (GF&AR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम (RTPP Act 2012—Rules 2013), लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (PWF&AR) के नियमों के अंतर्गत निदेशक, (SSAAT) को विभागाध्यक्ष एवं उप निदेशक को कार्यालयाध्यक्ष के समकक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। सोसायटी में उप निदेशक एवं लेखाधिकारी पदस्थापित नहीं होने से निदेशक, SSAAT द्वारा सहायक लेखाधिकारी—प्रथम को कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया गया है।

साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश की अनुपालना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग-1) के आदेश क्रमांक एफ1(8) ग्रावि/ गुप-1/2013 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु स्थायी आदेश जारी किये गये हैं, जिसके Appendix (परिशिष्ट-B) के संलग्नक (Annexure)—1 ख में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में कार्य सम्पादन हेतु शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

8. लेखे एवं अंकेंक्षण (Accounts & Audit) :-

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 20 के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के लेखे विधिवत रूप से संस्था के पंजीकृत कार्यालय में रखे जाने हैं।

भारत सरकार के मनरेगा वार्षिक मास्टर प्रपत्र (Annual Master Circular) 2020-21 के अध्याय 10 के बिन्दु संख्या 10.1.6 के अंतर्गत राज्य सरकार को योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में प्रशासनिक व्यय मद में से 0.5 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेंक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाना अनुमत है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेंक्षण हेतु भी 0.5 प्रतिशत राशि या योजना के प्रावधानानुसार राशि उपलब्ध कराये जाने बाबत प्रावधान हैं।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के अंकेक्षित वार्षिक अन्तिम लेखों के अनुसार प्राप्तियों एवं भुगतानों तथा अवशेष राशि का विवरण :-

S. No.	Particulars	(Amount in Rs.)	
		Financial Year	
		2019-20	2020-21
A.	Receipts :-		
	1. Opening Balane	0.00	3472038.00
	2. Adv. From MGNREGA, GOR	3500000.00	-
	3. Grant received – MGNREGA, GOI	0.00	135133000.00
	4. Bank Interest –		
	i. MGNREGA – GOR	20255.00	72534.00
	ii. MGNREGA – GOI	0.00	649912.00
	5. Tender Fees	0.00	5900.00
	6. Security Deposits received	0.00	27400.00
	Total Receipts (A)	3520255.00	139360784.00
B.	Payments :-		
	1. Salary & Allowances -		
	i. SSAAT	39047.00	13129753.00
	ii. MGNREGA	0.00	1169100.00
	2. Concurrent Social Audit Exp. (CSA)	0.00	403100.00
	3. Contractual Exp. (Man with Machine, Home guard & Assistant, Vehicle Hiring Charges)	0.00	889320.00
	4. Other Expenses (Office Exp., Stationary, Annual Report Exp, Bank Charges etc.)	9170.00	198626.50
	5. Capital Expenditure (Laptop, Printer etc.purchased)	0.00	76099.00
	6. Security Deposit given to RRSUSL	0.00	10000.00
	Total Payments (B)	48217.00	15875995.50
c.	Closing Balance (A – B)	3472038.00	123484785.50

इसी प्रकार अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भी भारत सरकार से 0.5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में से सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) हेतु व्यय किया जाना अनुमत है।

इसी प्रकार अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भी भारत सरकार से 0.5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में से सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) हेतु व्यय किया जाना अनुमत है।

हालांकि आवश्यक होने पर सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना अनुज्ञेय है परन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य में शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा ही प्रभारित किया जा रहा है।

संस्था को प्राप्त होने वाली राशियाँ एक बैंक खाते में रखी जानी है। इस हेतु सोसायटी का खाता सं 38872762396 भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, जयपुर में संधारित है।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जबाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय के निर्णय सं. 2.9 में अनुमोदन अनुसार सोसायटी के लेखों का नियंत्रक महालेखाकार (CAG) द्वारा एम्पेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा अंकेक्षण कराये जाने का निर्देश है।

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 21 की पालना में वर्ष 2020-21 में हुई समस्त गतिविधियों, लेखों, आदि को समाहित करते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सिविल सोसायटी संगठनों, प्रधान महालेखाकार, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालयों तथा कार्यकारी समिति और शासी निकाय को सादर प्रस्तुत है।

(संदीप चौहान)

R.Ac.S.

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जबाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
राजस्थान, जयपुर



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा
49/2019

परिशिष्ट-1

दिनांक 26 जून, 2019 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग-3) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक एफ.11 (8) ग्रावि/नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके/2015/दिनांक 19.06.2019 पर विचार-विमर्श कर राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता हेतु स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

डी. 49/मं.मं./2019
जयपुर, दिनांक: 27 जून 2019

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग/Cooperative Department
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/Registration Certificate

परिशिष्ट-2

क्रमांक S.No. : COOP/2019/JAIPUR/104900

दिनांक/Date 20-08-2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT) जिला JAIPUR का रजिस्ट्रेशन 'राजस्थान सोसाइटीज एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नम्बर 28, 1958)' के अन्तर्गत आज किया गया। यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

It is certified that SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT), Rajasthan at district JAIPUR is registered under the 'The Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act No. 28, 1958)' This certificate is issued today under my digital signatures.



Digitally signed by Registrar, DN: cn=Registrar, o=Rajasthan, email=Registrar@rajasthan.gov.in, c=IN, Date: 2019.08.20 10:19:19 +05'30', Reason: Approved, Location: JAIPUR
Digitally signed by Registrar, DN: cn=Registrar, o=Rajasthan, email=Registrar@rajasthan.gov.in, c=IN, Date: 2019.08.20 10:19:19 +05'30', Reason: Approved, Location: JAIPUR

सोसायटी में स्वीकृत मानव संसाधन

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ/संसाधन व्यक्तियों का प्रावधान रखा गया है:-

शासी निकाय

पदेन अध्यक्ष, मुख्य सचिव, राजस्थान
पदाधिकारी एवं सदस्यगण



कार्यकारी समिति



पदेन अध्यक्ष अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग



शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
(पदेन सदस्य सचिव, GB, SSAAT)



निदेशक (1)



उपनिदेशक (1)



लेखाधिकारी (2)

सहा. प्रशासनिक

प्रोग्रामर (1)

निजी सचिव (1)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ (1)

सहा. लेखाधिकारी-I (4)

अधिकारी (1)

सूचना सहायक (1)

निजी सहायक/

राज्य संसाधन व्यक्ति (6)

सहा. लेखाधिकारी-II (8)

कनिष्ठ सहायक (2)

स्टेनो (1)

जिला संसाधन व्यक्ति (99)

क. लेखाकार (4)

सहा. कर्मचारी (4)

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (1886)

ग्राम संसाधन व्यक्ति (35200)



